

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine Code-38GUJ08094

Date- 18/9/2018

मिसिल संख्या : GUJ/JUNA/LST-011

प्रेषित-M/s Golden Chemical Limited,
C/o Shri Jairaj C.Tracker, 502, Jai Krishna Complex,
Off. New Link Road, Fun Republic Theatre Lane,
Andheri (west) Mumbai-400053

विषय:- गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले, मालिया हटिना तालुका में स्थित आपकी मालिया हटिना चूना पत्थर खदान, सर्वे नंबर
32P, क्षेत्रफल 4.04 Ha हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 01/8/2018 को तकनीकी व्यक्ति लतीफ़ एंव खान मालिक के
प्रतिनिधि श्री पातुभाई की उपस्थिति में किया गया तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों
का उल्लंघन पाया गया ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 45(5)(1)	The holder of a mining lease or any person or company engaged in trading or storage or end users or export of minerals mined in the country, shall cause himself to be registered with Indian Bureau of Mines in form K online in IBM Website. In your case, you have not registered with IBM as mining business activity per provision of rules till date.
Rule 45(5)(b) & 45(5)(c)	The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner. (b) a monthly return which shall be submitted before the 10th day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. © an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form. In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till date to this office.
Rule 28(1)	<i>The holder of a mining lease shall send to the authorized officer, as the case may be, and the State Government a notice in Form-E, when the mining & mineral processing operation in the mine or part thereof are dis-continued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance. In your case, such discontinuance notice is not submitted to IBM Gandhinagar office so far.</i>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017के नियम 35(4) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है । और / या नियम 45(7)(1) के अंतर्गत राज्य सरकार से खदान की सारी संक्रियाएं बंद करने और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है ।

03.अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **45 दिन** के भीतर उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें ।

P.T.O

भवदीय,

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । *The aforesaid mine was suspended by this office vide letter No.686 (5)/उलंगन/2017-गांधीनगर/1446 Dated-06/11/2017 under provision of Rule 11(2) of MCDR, 2017 & lessee has not reported the compliance of rules till date. Further during inspection, lease boundary pillars were not available/erected & maintained as per statutes & mine workings appears to be done with in 7.5m of statutory barrier.*
03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एवं खनिज' प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर